बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 189710 पटना, दिनांक 26-6-14

ग्रा0वि0-5/सा0आ0जन0(प्रारूप प्रका0)-103-09/2013

प्रेषक,

एस.एम.राजू,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-मुख्य SECC पदाधिकारी ।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत पुन: दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) 2011 के अंतर्गत दावा आपत्ति चरण का कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस बीच कई जिलों से सूचनाएँ प्राप्त हो रही है कि दावा/आपत्ति दर्ज कराने के लिए जिलों द्वारा निर्धारित तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात भी बहुत सारे व्यक्तियों/परिवारों द्वारा दावा/आपत्ति दर्ज नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण आमजनों में असंतोष व्याप्त है ।

विदित हो कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तत्काल इसके आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों का चयन किया गया है और भविष्य में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य आधार SECC सूची ही होगी ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया है कि जो व्यक्ति/परिवार किसी कारणवश जिलों द्वारा दावा/आपत्ति चरण हेतु निर्धारित समयसीमा के अंदर अपना दावा/आपत्ति आवेदन नहीं दे सके हैं, उनसे भी प्रखंड स्तर पर दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाये । इस कार्यक्रम का जिला स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाय जिससे कि SECC सूची में छुटे सभी व्यक्ति/परिवार अपना दावा/आपत्ति आवेदन विहित प्रपत्र में जमा करा सके। विहित प्रपत्र में भली भाँति भरे हुए आवेदन प्रखंड कार्यालय में प्राप्त करने हेतु अलग से एक काउन्टर की व्यवस्था की जाये । आवेदन प्राप्ति के बाद उसका पावती रसीद आवेदक को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। इसमें विशेष रूप से यह भी प्रचार- प्रसार करने की आवश्यकता है कि

जिन व्यक्तियों के द्वारा पूर्व में दावा/आपत्ति आवेदन दिया जा चुका है, उन्हें दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं है । विहित प्रपत्र 'A.'B' एवं 'C' की उपलब्धता नि:शुल्क वितरण हेतु सभी प्रखंड कार्यालयों में सुनिश्चित किया जाये । SECC से संबंधित आवेदन लेने का कार्य अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके साथ ही SECC की अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक-31.07.2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। अंतिम सूची के प्रकाशन के उपरान्त भी SECC के तहत दावे/आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई चलती रहेगी, इसे भी सुनिश्चित किया जाये ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि पुन: प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदनों की ऑफलाईन प्रविष्टि करा ली जाय । तत्पश्चात पंचायत स्तरीय पदाधिकारी (PLO) द्वारा इन आवेदनों की जॉच करायी जाये ताकि उसके आलोक में परिमार्जित एवं सही SECC सूची के निर्माण की प्रक्रिया जारी रहे ।

अत: अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाय ।

विश्वासभाजन

(एस.एम.राजू)
सचिव 26.6.14

ज्ञापांक 189710 बिहार, पटना 26-6-14

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव
26.6.14